जे.पी.आर.5–845

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – se_comml@yahoo.in

क्र0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / एफ.1(13)/[illegible]/प्रे0 2765 जयपुर, दिनांक– 10.03.2017

आदेश

विषयः– अंकेक्षण दल द्वारा उपभोक्ता से वसूली हेतू निर्धारित राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़ने के संदर्भ में।

1. प्रायः यह देखा गया है कि अंकेक्षण दल तथा विभिन्न अन्य शाखाओं द्वारा किसी विद्युत कनेक्शन पर निर्धारित की गई राशि के संबंध में उपभोक्ता को सूचना दिये बिना ही यह राशि को उसके विद्युत बिल में जोड़कर भेज दिया जाता है।
2. विद्युत आपूर्ति की शर्ते व प्रबन्धन–2004 के क्लॉज संख्या–49 के प्रावधानों के अनुसार किसी उपभोक्ता से वसूल किये जाने वाली राशि के संबंध में निगम द्वारा उपभोक्ता को नोटिस देकर वसूंली योग्य राशि का विस्तृत विवरण सूचित करना आवश्यक है एवं उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिया जावे। तत्पश्चात् ही अंकेक्षण दल या अन्य शाखाओं द्वारा निर्धारित राशि को बिल में जोड़कर भेजा जाना सुनिश्चित करें।
3. इस विषय में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में बकाया राशि जोड़ने से पूर्व अंकेक्षण दल, परिधारण व संधारण शाखा, मीटर शाखा एवं सर्तकता शाखा इत्यादि द्वारा निर्धारित वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण संबंधित उपभोक्ता को नियमानुसार 15 दिवस के नोटिस द्वारा सूचित करना सुनिश्चित करें एवं नोटिस अवधि में उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की सुनवाई के बाद ही विद्युत बिलों में राशि को जोड़ा जावें।

आज्ञा से

10/3/17

(के.के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

Desktop/San/JPR